न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 21/2015 (2015/00195) दर्ज दिनांक 14.09.2015

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

1. उदा आत्मज मेघा गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
2. सुरजमल आत्मज रेखा गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
3. नंदराम आत्मज रेखा गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
4. मु0 मांगी पुत्री रेखा गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
5. मु0 टमु पुत्री रेखा गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
6. मु0 मेहताबी पत्नि सालगराम गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
7. मु0 संतोक पत्नि नानुराम गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
8. सीमा पुत्री नानुराम गुजर नाबालिग बविलायत जरिये माता मु0 संताक पत्नि नानुराम गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन आत्मज ऊंकार गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
2. रामा आत्मज ऊंकार गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
3. मांगीलाल आत्मज मेघा गुजर निवासी गलोदिया तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
4. एस0बी0बी0जे0 शाखा गंगापुर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

वकिल प्रार्थीगणः– श्री रितेश सुराणा

विपक्षी सं0 2ः– श्री महेश दाद्यीच

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 08.01.2021

प्रार्थीगण ने दिनांक 14.09.2015 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गलोदिया तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आवादी में मोहन , रामा आत्मज ऊकार 1/2, रेखा आत्मज दयाराम गुजर 1/2 के नाम साबिक आराजी संख्या 174 रकबा ... बीघा किस्म ... अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 168 पर स्थित थी, जिसका राजस्व रिकार्ड आयताकार होकर समचौरस था। प्रमाण नकल जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 ... इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

खातेदार रेखा की मृत्यु हो जाने से उनकी विरासत का नामान्तरणकरण हम प्रार्थीगण व विपक्षी मांगी लाल पर फैसल हुआ जिसका इन्द्राज भी इसी जमाबंदी में है।

यह कि भुप्रबंध की कार्यवाही के दौरान ग्राम गलोदिया का भी नवीन भुप्रबंध हुआ, जिसमें साविक आराजी संख्या 174 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर 1661 रकबा 0.69 हे0, 1662 रकबा 0.29 हे0, 1663 रकबा 0.26 हे0, 1664 रकबा 0.19 हे0, 1665 रकबा 0.03 हे0, 1666 रकबा 0.39 हे0, 1667 रकबा 0.01 हे0, 1668 रकबा 0.29 हे0, 1669 रकबा 0.22 हे0, 1670 रकबा 0.29 हे0, 1671 रकबा 0.12 हे0, 1672 रकबा 0.02 हे0 कायम किये गये। और सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान साविक नक्शे का नवीन नक्शा भी कायम किया गया। लेकिन भुप्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम आदेशके अपने अधिकारों से परे जाकर साविक नक्शे अनुसार नवीन नक्शा कायम नहीं कर मन मकसुद तरीके से चारों दिशओं की भुजाओं में भारी उलटफेर करते हुए परिवर्तन कर दिया है। जिससे साबिक नक्शे के अनुरूप वर्तमान नक्शा में दुरूस्ती कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात के साबिक नक्शे अनुरूप नवीन नक्शें में दुरूस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी सं. 1,3,4 अनुपस्थित, विपक्षी संख्या 5 राजकीय पेरोकार नायब तहसीलदार ने औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाब देही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यदि नक्शें में दुरूस्ती करण किया जाता हैं तो कोई आपत्ति नही जाहिर की।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता की बहस उभयपक्ष सुनी गई । उक्तानुसार बहस तथा रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे निष्कर्ष निकलता हैं कि–

– साबिक आराजी नं0 174 रकबा 13.02 बीघा का नवीन भूप्रबंध अनुसार रकबा 2.83 हे0 होना चाहिए।साबिक आराजी नं0 174 रकबा 13.02 बीघा से नवीन भू–प्रबंध में बनाये गये हाल आराजी नं0 1661 से 1672 किता 12 रकबा 2.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार साबिक आराजी के रकबा के बराबर ही नवीन आराजी का रकबा दर्ज किया गया है।

– साबिक आराजी 174 के नक्शानुसार नवीन आराजी नं0 1661 से 1672 तक का नया नक्शा बनाया गया है। अतः प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि उसका साबिक नक्शे के मुकाबले नक्शा किस तरफ कम ज्यादा हुआ है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाताहै। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 2.
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner